राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

–:आवश्यक सूचना:–

(विज्ञापन सं०–05/2020)

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के विज्ञापन संख्या–**05/2020** (PR No. 2874/2020-21) के द्वारा NHM अन्तर्गत Certificate in Community Health के लिए GNM/B.Sc Nursing के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किया गया है। विज्ञापन में Final Selection का आधार Computer Based Test (CBT) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांक (Marks) का प्रावधान किया गया है। COVID-19 वैश्विक महामारी/संक्रमण तथा इस संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में CBT का आयोजन सम्भव प्रतीत नहीं होता है। **फलस्वरूप Final Selection का आधार अभ्यर्थियों द्वारा GNM/B.Sc Nursing के अंतिम वर्ष के परीक्षा में उत्तीर्णता (Qualifying) में प्राप्त प्राप्तांक (Marks/Merit) के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।** इससे संबंधित सूचना को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार के PR No. 0005001 (Ni-Ni) 2020–21 द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है तथा इसे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

2. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में विज्ञापन संख्या–05/2020 के तहत Six months Certificate in Community Health for GNM/B.Sc Nursing के पद पर नामांकन–सह–चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों को Shortlist किया गया है, जिसे वेबसाईट–statehealthsocietybihar.org पर अपलोड/प्रकाशित कर दिया गया है। तदनुसार उक्त पद के लिए Merit के आधार पर 1:2 के अनुपात (संबंधित कोटि में उपलब्ध अभ्यर्थियों के आधार पर) में Shortlisted अभ्यर्थियों का प्रमाण–पत्र सत्यापन किया जाना है। सभी संबंधित प्रमाण–पत्रों के सत्यापनोपरांत तदनुसार रिक्ति के अनुसार अंतिम रूप से नामांकन–सह–चयनसूची का प्रकाशन किया जाएगा।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में वैश्विक महामारी कोरोना (COVID-19) के रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन को देखते हुए Document Verification हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु सभी अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि सत्यापन हेतु अपने वांछित प्रमाण–पत्रों को अभ्यर्थी को आवेदन भरते समय उपलब्ध कराये गये User ID एवं Password का उपयोग करते हुए Login के माध्यम से दिनांक **16.08.2020 से 22.08.2020 तक** अपलोड कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. Shortlisted अभ्यर्थी उपर्युक्त निर्धारित तिथि तक निम्नांकित सभी प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति अनिवार्य रूप से User ID एवं Password से Login कर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त Documents पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(i) फोटोयुक्त पहचान–पत्र, यथा–मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि।

(ii) जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र।

(iii) **Essential Qualification for GNM/B.Sc Nursing:**

- General Nurse and Midwifery (GNM) from a recognized institute/ Bachelor of Science in Nursing from recognized university/ institution.

(iv) Candidate should have permanent registration from India Nursing Council/ any state Nursing Council. Selected candidates should provide permanent registration from Bihar Nursing Registration Council (BNRC), Patna before joining as CHO.

(v) आरक्षण का लाभ उन्ही उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा)।

(vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरीत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास

Scanned with CamScanner

प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(viii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा–पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।

(ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(x) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब Document Verification के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(xi) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र।

(xii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण–पत्र।

5. CHO में नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को IGNOU Application Form एवं Surety Bond को भरकर स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। IGNOU Application Form एवं Surety Bond के बिना आपकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. **अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे IGNOU का Application Form एवं Surety Bond को भरते हुए स्वहस्ताक्षरित कर मूल प्रति में दिनांक 25/08/2020 तक स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/कुरियर के माध्यम से निम्न पत्ते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें लिफाफ के उपर अभ्यर्थी का नाम, पद का नाम एवं Application No. अवश्य अंकित हो –**

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (आयुष)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा
पटना – 800014

7. **जिन अभ्यर्थियों से उक्त निर्धारित तिथि (25.08.2020) तक IGNOU का Application Form एवं Surety Bond डाक के माध्यम से प्राप्त होगा, उनकी सूची राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों का नाम उक्त सूची में अंकित नहीं होगा, वे भरा हुआ एवं स्वहस्ताक्षरित IGNOU का Application Form तथा Surety Bond की मूल प्रति को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 27/08/2020 से 29/08/2020 तक जमा कर सकते हैं। दिनांक 29/08/2020 तक IGNOU का Application Form तथा Surety Bond की मूल प्रति जमा नहीं करने/डाक के माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी के आवेदन/अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।**

8. यदि कोई अभ्यर्थी Online Document Verification में उपरोक्त वर्णित सभी मूल–प्रमाण–पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

9 योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, Cut-off date-(01.01.2020) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

10. निर्धारित तिथि तक Document अपलोड नहीं होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी एवं फलस्वरूप उन्हें मेधासूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

11. अभ्यर्थी सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आधा–अधूरा दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा, उन्हें अलग से स्मारित नहीं किया जायेगा तथा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदार वे स्वयं होगें।

12. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाईट– www.statehealthsocietybihar.org पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाईट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/Email के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

Rajesh 14/8/20

(राजेश कुमार)
उप सचिव–सह–
प्रभारी, मानव संसाधन

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर–सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष **8544421978** एवं Email ID: shsbhrcell@yahoo.com पर सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

Scanned with CamScanner